

करते हुए पदोन्नति के प्रक्रम पर राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मात्रा 03 प्रतिशत से बढ़ाकर 04 प्रतिशत किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये जा रहे हैं :-

1. दिव्यांगों हेतु आरक्षण की मात्रा :-

समूह 'घ' से समूह 'ग', समूह 'ग' से समूह 'ख' तथा समूह 'ख' से समूह 'क' के सबसे निचले पायदान के पदों पर जिसमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक न हो, 04 प्रतिशत रिक्तियाँ, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जायेंगी, जिसमें से एक-एक प्रतिशत रिक्तियाँ खण्ड-क, ख, ग के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए और एक प्रतिशत रिक्तियाँ खण्ड-घ एवं ङ के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए, उन दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गए पदों में आरक्षित होंगी अर्थात्:-

- (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि;
- (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास;
- (ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता;
- (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;
- (ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति के पद पर नियुक्ति के समय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता की जांच/पुनर्जांच करायी जा सकती है।

2. दिव्यांगों हेतु आरक्षण से छूट :-

यदि कोई विभाग कार्य की प्रकृति के आधार पर किसी प्रतिष्ठान को दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान से अंशतः अथवा पूर्णतया मुक्त रखना आवश्यक समझे तो वह ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से मा० मुख्यमंत्री जी को संदर्भ प्रेषित कर सकता है। छूट प्रदान किये जाने के बारे में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा विचार किया जाएगा। मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त समाज कल्याण विभाग द्वारा छूट प्रदान किये जाने विषयक आदेश निर्गत किये जाएंगे।

3. केवल निःशक्तता के आधार पर पदोन्नति से इंकार नहीं :-

(क) किसी भी व्यक्ति को मात्र उसकी निःशक्तता के आधार पर पदोन्नति से मना नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कार्मिक सेवा में रहते हुए दिव्यांग हो जाता है तो, न तो उसे सेवा से निकाला जाएगा और न ही उसके रैंक में कोई अवनति की जाएगी। यदि उक्त कार्मिक अपनी दिव्यांगता के कारण अपने धारित पद के दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है, तो समान वेतनमान एवं सेवाओं के साथ किसी अन्य पद पर शिफ्ट किया जा सकता है। यदि कार्य की प्रकृति के आधार पर उक्त कार्मिक को किसी अन्य पद पर समायोजन किया जाना सम्भव न हो तो, उसे एक अधिसंख्य पद पर तब तक रखा जाएगा जब तक कि उसके लिए उपयुक्त पद उपलब्ध न हो जाए अथवा अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त न हो जाए। यदि उक्त दिव्यांग व्यक्ति, जिसके लिए अधिसंख्य पद सृजित किया गया है, अगले उच्च वेतनमान में पदोन्नति के लिए अर्ह हो जाए तथा उसे किसी अन्य पद के सापेक्ष समायोजित किया जाना सम्भव न हो तो, जिस अधिसंख्य पद के सापेक्ष वह कार्यरत है, को समर्पित करते हुए अगले उच्च स्तर का एक अधिसंख्य पद सृजित किया जाएगा।

(ख) यदि कोई कार्मिक सेवा में आने के पश्चात् दिव्यांग हो जाता है, तो वह दिव्यांगजन हेतु प्रोन्नति में अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। किन्तु केवल ऐसे कार्मिक ही पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो।

(ग) अस्थायी दिव्यांगता के आधार पर दिव्यांग आरक्षण का कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4. उपयुक्त नौकरियों/पदों की पहचान :-

समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017 दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नौकरियों/पदों का चिह्नंकन कर लिया गया है। सभी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा दिव्यांगजन को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश का उपयोग किया जाएगा।

5. एक, दो अथवा तीन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षण :-

यदि कोई पद दिव्यांगता की एक श्रेणी के लिए ही उपयुक्त चिह्नित किया गया हो, तो उस पद में आरक्षण उस दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। ऐसे मामलों में चार प्रतिशत का आरक्षण कम नहीं किया जाएगा तथा उस पद में पूर्ण आरक्षण उस दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसके लिए वह चिह्नित किया गया हो। इसी तरह किसी पद के दिव्यांगता की दो या तीन श्रेणियों के लिए चिह्नित किये गये होने की स्थिति में जहाँ तक सम्भव हो, आरक्षण दिव्यांगता की उन दोनों या तीनों श्रेणियों (जैसी स्थिति हो) के व्यक्तियों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जाएगा, तथापि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिष्ठान में आरक्षण, विभिन्न पदों में इस तरह विभाजित किया जाय कि दिव्यांगता की सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को यथासम्भव समान प्रतिनिधित्व मिले। आरक्षण प्रदान करने हेतु 25 प्वाइंट के अन्तराल पर बनाए गए 100 प्वाइंट के रोस्टर का प्रयोग किया जाएगा अर्थात् दिव्यांग कार्मिक को उसके लिए निर्धारित प्वाइंट्स पर ही आरक्षण प्रदान किया जाएगा न कि समूहबद्ध तरीके से।

6. अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति :-

वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर पदोन्नति की स्थिति में यदि दिव्यांग व्यक्ति प्रोन्नति हेतु अन्यथा अर्ह है तथा पदोन्नत व्यक्तियों की अंतिम सूची में सम्मिलित है, तो उसे अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान की जाएगी अर्थात् दिव्यांग व्यक्ति को, केवल इस आधार पर कि कोई रिक्ति दिव्यांगजन की श्रेणी के लिए चिह्नित नहीं है, पदोन्नति से मना नहीं किया जा सकता है।

मानदण्डों में बिना किसी शिथिलीकरण के, अपनी ही योग्यता के आधार पर, अन्य उम्मीदवारों के साथ चुने गए दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति, रिक्तियों के आरक्षित भाग में समायोजित नहीं किए जाएंगे। आरक्षित रिक्तियां, दिव्यांगता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों में से अलग से भरी जाएंगी जिनमें ऐसे शारीरिक रूप से वे दिव्यांग उम्मीदवार सम्मिलित होंगे जो योग्यता सूची में अन्तिम उम्मीदवार से योग्यता में नीचे होंगे, परन्तु नियुक्ति हेतु अन्यथा, यदि आवश्यक हो तो शिथिलीकृत मानदण्डों से उपयुक्त पाये जायेंगे।

7. उपयुक्तता मानदण्डों में छूट :-

यदि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदण्डों के आधार पर इस श्रेणी के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं (एलडीसीई/डीई आदि द्वारा पदोन्नति के मायने में), तो इनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदण्डों में शिथिलता देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जाय बशर्ते कि वे ऐसे पद अथवा पदों के लिए अनुपयुक्त न हों। किन्तु दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित मानदण्डों में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निर्धारित सामान्य मानदण्डों में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु चाहे वे सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित हों, एक समान शिथिलता प्रदान की जाएगी, श्रेणीवार पृथक-पृथक शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी।

8. आरक्षण हेतु रिक्तियों की संख्या की गणना :-

जिन संवर्गों में दिव्यांगजन को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू है वहां समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना, अधिष्ठान में समूह

विवेकाधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगा कि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की किस श्रेणी को पहले समायोजित किया जाय तथा इस बात का निर्णय पद के स्वरूप, संबंधित ग्रेड/पद इत्यादि में दिव्यांगता से ग्रस्त विशिष्ट श्रेणी के प्रतिनिधित्व के स्तर के आधार पर किया जायेगा।

10. मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र :-

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्रावधानों का सही सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के क्रम में मांगकर्ता प्राधिकारी, पदोन्नति करने वाली एजेंसी/डी0पी0सी0 आदि, के माध्यम से अथवा अन्य रीति से पदों को भरने हेतु मांग पत्र भेजते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे:-

प्रमाणित किया जाता है कि यह मांग पत्र भेजते समय उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित)] तथा दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है। इस मांग पत्र में सूचित उपर्युक्त रिक्तियाँ 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर के चक्र संख्या.....के बिन्दु संख्या..... पर आती हैं और उनमें से रिक्तियाँ दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।

दिव्यांगजन आरक्षण हेतु निर्धारित रिक्ति के सापेक्ष मौलिक नियुक्ति प्रदान करने के समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी दिव्यांगजन आरक्षण का लाभ पाने का पात्र है।

11. रिक्तियों हेतु नोटिस:-

किसी निर्धारित/चिह्नित पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु दिव्यांग व्यक्तियों को उचित अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करने के क्रम में, रोजगार केन्द्रों, बोर्डों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, डी0पी0सी0 आदि को नोटिस भेजते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जायेगी:-

(I) दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्ति को स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(II) ऐसे पदों में रिक्तियों के मामलों में जिन्हें दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिह्नित किया गया हो, चाहे रिक्तियाँ आरक्षित हों या न हों, यह उल्लेख किया जाय कि सम्बद्ध पद सम्बद्ध दिव्यांगता की श्रेणियों यथा (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि; (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास; (ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता; (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता; (ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता के लिए उपयुक्त पहचाना गया है। पद के कार्यात्मक वर्गीकरण तथा ऐसे पद के सम्बन्ध में कार्य निष्पादन हेतु शारीरिक अपेक्षाओं को भी स्पष्टतः दर्शाया जाय।

(III) दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिह्नित किये गये पदों की रिक्तियों के मामले में यह दर्शाया जाय कि सम्बन्धित पद (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि; (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास; (ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता; (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता; (ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों जैसा भी मामला हो के लिए चिह्नित किया गया है और उपयुक्त श्रेणी/श्रेणियों से संबंधित दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति जिनके लिए पद उपयुक्त पहचाना गया है, को एलडीसीई (Limited Departmental Competitive Examination) से भरे जाने हेतु आवेदन करने की अनुमति है, भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो। ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जाएगा।

(IV) दिव्यांगजन के लिए निर्धारित आरक्षण के लाभ हेतु केवल विधिक रूप से मान्य बेंचमार्क दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। अस्थायी रूप से दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

12. पदोन्नति के मामले में आरक्षण की आपसी अदला-बदली और अग्रेनीत किया जाना:-

(क) आरक्षित रिक्तियों को योग्यता के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरते समय सामान्य विचारण के क्षेत्र में आने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। जहां सामान्य विचारण क्षेत्र में दिव्यांगों की उपयुक्त श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते, वहां विचारण क्षेत्र रिक्तियों की संख्या का पांच गुना बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ाये गए विचारण क्षेत्र में आने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। यदि बढ़ाए गए विचारण क्षेत्र में भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो यदि सम्भव हो तो आरक्षण की अदला-बदली की जा सकती है, ताकि पद को दिव्यांगता की अन्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जा सके। यदि आरक्षण द्वारा पद को भरा जाना सम्भव नहीं हो तो पद को दिव्यांग व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा जाय तथा आरक्षण को अगले तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेनीत कर दिया जाय जिसके बाद यह समाप्त हो जाएगा।

(ख) अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति देने पर विचार किया जाएगा। यदि दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी का कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो सम्बन्धित श्रेणी के दिव्यांगता से ग्रस्त अतिरिक्त उम्मीदवारों को आवश्यक सीमा तक वरिष्ठता सूची में नीचे जाने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते वे पात्र हो, और यह पद उनके लिए चिह्नित किया गया हो। यदि विस्तारित पात्रता क्षेत्र में भी दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो उक्त रिक्ति भरी नहीं जाएगी तथा आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रेनीत कर दी जायेगी। यदि आगामी चयन वर्ष में भी चिह्नित श्रेणी का दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उसे अन्य श्रेणी के लिए चिह्नित दिव्यांगता से बदला जा सकता है। यदि इसके बावजूद भी दिव्यांग आरक्षण से रिक्ति भरा जाना सम्भव न हो तो रिक्ति को आगामी 02 वर्षों तक के लिए अग्रेनीत कर दिया जाएगा, जो उसके बाद समाप्त हो जाएगी।

(ग) यदि सभी रिक्तियों के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो पुराने अग्रेनीत किये गये पदों को पहले भरा जाएगा और वर्तमान रिक्तियों को यदि भरा नहीं गया है, तो अग्रेनीत कर दिया जाएगा।

13. दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के अभ्यावेदनों से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट :-

प्रत्येक विभाग द्वारा दिव्यांगजन की प्रोन्नति से सम्बन्धित आंकड़े सीधी भर्ती की भांति ही तैयार कर समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराए जायेंगे।

14. दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नोडल अधिकारी :-

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मामलों को देखने के लिए विभाग में नियुक्त नोडल अधिकारी दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए भी नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे और इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे।

15. दिव्यांगजन की शिकायतों के निवारण हेतु व्यवस्था :-

I. प्रत्येक विभाग द्वारा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) नियुक्त किया जायेगा।

II. शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा दिव्यांगजन की शिकायतों का एक रजिस्टर रखा जायेगा जिनमें निम्नलिखित विवरण होंगे:-

- (क) शिकायत की तिथि
- (ख) शिकायतकर्ता का नाम
- (ग) विभाग/अधिकारी का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है
- (घ) शिकायत का सार

(ड) शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायत निस्तारण की तिथि
(च) अन्य विवरण

III. नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के भेद-भाव से क्षुब्ध/असंतुष्ट कोई भी दिव्यांग व्यक्ति सम्बन्धित शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

IV. शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत की 02 माह के अंदर 02 जांच की जायेंगी तथा उसके निष्कर्षों से शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

16. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी :-

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा। राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य संबंधित श्रेणी की दिव्यांगता का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।

मेडिकल बोर्ड, समुचित जांच पड़ताल के पश्चात् स्थायी दिव्यांगता के ऐसे मामलों में स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जहाँ दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश न हो। मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों में प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि इंगित करेगा जिनमें दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की गुंजाइश हो। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से तब तक इन्कार नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाय। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात् मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस मामले में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है। नियोक्ता प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्ति पर आरम्भिक नियुक्ति के समय वह यह सुनिश्चित करे कि उम्मीदवार, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का पात्र है।

अतः सभी विभाग अपने नियंत्रणाधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों की जानकारी में उपर्युक्त अनुदेशों को लाएंगे।

संलग्नक : यथोक्त।

Signed by Anand Bardhan

Date: 26-02-2024 13:02:14

(आनन्द बर्द्धन)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 193548/XXX(2)/2024-E 61441 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
13. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।

14. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
15. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
17. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

Signed by Lalit Mohan
Raya
Date: 26-02-2024 14:32:38

संलग्नक-1

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर

भर्ती का वर्ष	साइकिल सं. और प्वाइंट सं.	पद का नाम	क्या विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पद उपयुक्त पाया गया है।					अनारक्षित अथवा आरक्षित	नियुक्त व्यक्ति का नाम नियुक्ति की तारीख	क्या नियुक्त किया गया व्यक्ति दृ.वि. / शा. वि. है अथवा इनमें से कोई नहीं	अभियुक्त यदि कोई हो
			(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)				
			दृष्टिहीन	बधिर	प्रमस्तिष्कीय	स्वपरायणता,	खण्ड				
			ता और	और	अंग	बौद्धिक	(क) से				
			कम	श्रवण	घात,	निशक्तता,	(घ) के				
			दृष्टि	शक्ति	उपचारित	विशिष्ट	अधीन				
				में	कुष्ठ	अधिगम	आने				
				हास	बौनापन,	निशक्तता	वाले				
					एसिड	और	व्यक्तियों				
					आक्रमण	मानसिक	में से बहु				
					पीड़ित	अस्वस्थता	निशक्तता,				
					और		विशिष्ट				
					मांसपेशीय		अधिगम				
					दुष्पोषण		निशक्तता				
					सहित		और				
					चलनक्रिया		मानसिक				
					सम्बन्धी		अस्वस्थता				
					निशक्तता		के लिए				
							अभिज्ञानित				
							पदों				
							में				
							बधिर-				
							अंधता				
							सम्मिलित				
							है				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.